

## प्रपत्र-VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संख्या-...../भू0अ0  
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

दिनांक-...93.....

समाहर्ता / अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

**(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)**

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह मतीत होता है, कि कुल 5.15 एकड़ भूमि गाँव-अझौर, राजस्व थाना-बेगूसराय, थाना सं0-237, अंचल बेगूसराय, जिला बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना मुख्यमंत्री सेतु योजना अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी पर अझौर घाट में पुल के पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन अपेक्षित है, राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई आद्री द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन को बहु विधा विशेषज्ञ समूह के द्वारा अनुमोदित किया गया है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथानिम्न है:-

विषयांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन लोक उद्देश्य एवं स्थानीय जनता के समग्र विकास के लिये की जा रही है, तथा परियोजना से भविष्य में होने वाले लाभ सामाजिक लागत के सापेक्ष ज्यादा है। कोई भी परिवार इस परियोजना में विस्थापित नहीं हो रहा है। अतएव अधिसूचित हो कि गाँव अझौर, राजस्व थाना बेगूसराय, थाना सं0 237 अंचल बेगूसराय, जिला बेगूसराय में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.15 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क0 सं0	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
						उ0	द0	पू0	प0
1	197	रैयती	दो फसला	0.027	दहोरी शर्मा वगैरह पे0-रामकिशुन शर्मा वगैरह, वंशावली के अनुसार एवं राम सेवक मालाकार वगैरह पे0-जयप्रकाश मालाकार वंशावली के अनुसार	अंश खेसरा 197	सर्वे खेसरा सं0-461, सड़क	सर्वे खेसरा सं0-198	अंश खेसरा सं0-197
2	198	रैयती	दो फसला	0.256	दहोरी शर्मा वगैरह पे0-रामकिशुन शर्मा वगैरह, वंशावली के अनुसार	अंश खेसरा सं0-198	सर्वे खेसरा सं0-461 सड़क	सर्वे खेसरा सं0-212 सड़क	सर्वे खेसरा सं0-197
3	212	सरकारी	रास्ता	0.768	बिहार सरकार	अंश खेसरा सं0-212	अंश खेसरा सं0 212 बौध (रास्ता)	सर्वे खेसरा सं0-220, 213, 315, 316 एवं 318	सर्वे खेसरा सं0-198, 461 (रास्ता) 324, 323, 322, 321 एवं 319
4	213	रैयती	दो फसला	0.335	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह वंशावली के अनुसार	सर्वे खेसरा-220	सर्वे खेसरा सं0-315	अंश खेसरा सं0-213 एवं सर्वे खेसरा सं0-214	सर्वे सड़क खेसरा सं0-212
5	214	रैयती	दो फसला	0.013	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह	सर्वे खेसरा सं0-219	अंश खेसरा सं0-214	अंश खेसरा सं0-214	सर्वे खेसरा सं0-213
6	219	रैयती	दो फसला	0.078	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह	अंश खेसरा सं0-219	सर्वे खेसरा सं0-214	अंश खेसरा सं0-219	सर्वे खेसरा सं0-220
7	220	रैयती	दो फसला	0.207	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह	अंश खेसरा सं0-220 वर्तमान नदी	सर्वे खेसरा सं0-213	सर्वे खेसरा सं0-219	सर्वे सड़क खेसरा सं0-212

8	221	रैयती	एक फसला	0.084	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी, अंश भाग नदी,	सर्वे खेसरा सं0-222	अंश खेसरा सं0-221 वर्तमान नदी	सर्वे खेसरा सं0-223	अंश खेसरा 221
9	222	रैयती	दो फसला	0.767	नदी के पार	सीमा रेखा छतौना थाना नं0 180	सर्वे खेसरा सं0-221	सर्वे खेसरा सं0-223	अंश खेसरा सं0-222
10	223	रैयती	दो फसला	1.165	नदी के पार	सीमा रेखा छतौना थाना नं0 180	अंश खेसरा सं0-223 वर्तमान नदी	सर्वे खेसरा सं0-225	सर्वे खेसरा सं0-222 एवं 221
11	225	रैयती	दो फसला	0.325	नदी के पार व नदी	सीमा रेखा छतौना थाना नं0 180	अंश खेसरा सं0-225 वर्तमान नदी	अंश खेसरा सं0-225	सर्वे खेसरा सं0-223
12	461	सरकारी	रास्ता	0.05	बिहार सरकार	सर्वे खेसरा सं0-197 एवं 198	सर्वे खेसरा सं0-324	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा सं0-461 (सड़क)
13	315	रैयती	दो फसला	0.37	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह वंशावली के अनुसार	सर्वे खेसरा सं0-213	सर्वे खेसरा सं0-316	सर्वे खेसरा सं0-315 अंश	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)
14	316	रैयती	दो फसला	0.17	राजकुमार सहनी वगैरह पे0-जुगल सहनी वगैरह वंशावली के अनुसार	सर्वे खेसरा सं0-315	सर्वे खेसरा सं0-318 एवं 317	अंश खेसरा सं0-316	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)
15	317	सरकारी एवं अंश रैयती	बौध	0.04	बिहार सरकार एवं रैयती	सर्वे खेसरा सं0-316	अंश खेसरा सं0-317 (बौध)	अंश खेसरा सं0-317	सर्वे खेसरा सं0-316 एवं 318
16	319	रैयती	दो फसला	0.21	चन्द्रगुप्त शर्मा पे0-सीखी शर्मा, महेश शर्मा पे0-चन्द्रगुप्त शर्मा	सर्वे खेसरा सं0-321	अंश खेसरा सं0-319 (बौध)	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा सं0-319
17	321	रैयती	दो फसला	0.054	राम प्रकाश मालाकार पे0-कोकल मालाकार	सर्वे खेसरा सं0-322	सर्वे खेसरा सं0-319	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा सं0-321
18	322	रैयती	दो फसला	0.026	दहोरी शर्मा वगैरह पे0-राम किशुन शर्मा	सर्वे खेसरा सं0-323	सर्वे खेसरा सं0-321	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा 322
19	323	रैयती	दो फसला	0.039	दहोरी शर्मा वगैरह पे0-राम किशुन शर्मा	सर्वे खेसरा सं0-324	सर्वे खेसरा सं0-322	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा 323
20	324	रैयती	दो फसला	0.136	अरविन्द चौधरी पे0-त्रिवेणी चौधरी	सर्वे खेसरा सं0-461 (सड़क)	सर्वे खेसरा सं0-323	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)	अंश खेसरा सं0-324
21	318	रैयती बौध	बौध	0.03	बौध एवं रैयती	सर्वे खेसरा सं0-316	अंश खेसरा सं0-318 बौध	अंश खेसरा सं0-317	सर्वे खेसरा सं0-212 (सड़क)

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्ध्ववस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित के लिए की गई है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि 10:00 बजे से 5:00 तक में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को अधिकार में लेने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने के लिए सभी अन्य कार्यों के संचालन करने तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय और उनके कर्मचारी कानूनगो एवं निर्देशित पदाधिकारी को प्राधिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत कोई हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के समक्ष आक्षेप कर सकेगा।

समाहर्ता,  
बेगूसराय।


ज्ञापांक-...../दिनांक-...../  
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट बेगूसराय को जिला राज पत्र के अगले असाधारण/साधारण अंक में प्रकाशित करने को इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के लिए भेजी जाती है।

ज्ञापांक-...../दिनांक-...../  
प्रतिलिपि:- निदेशक भूमि अर्जन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-...../दिनांक-...../  
प्रतिलिपि:- आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-...../दिनांक-...../  
प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 93 / दिनांक- 19.02.18 /  
प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, बेगूसराय को समुचित सरकार/समाहर्ता के बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
बेगूसराय।